:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– मनसुखराम डामोर आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 12/24

1. श्री दलीचन्द पिता नाथु जाति कलाल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

बनाम

1. श्री रामशंकर पिता खेमजी जाति पाटीदार निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

दावा अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी गांव साकोदरा पटवार हल्का साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है।
यह कि वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा साकोदरा में खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 1082, 1083, 1084 रकबा 0.3398 है0 होकर स्थित है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

यह कि वादी अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या दो में अंकित आराजी में मौजा साकोदरा के खसरा नम्बर 1061 किस्म बिलानाम रास्ता की भूमि होकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी मौजा साकोदरा खसरा नम्बर 1072/1 रकबा 0.4450 है0 में 60 वर्षों से आवाजाही करते हुए वादी अपनी खातेदारी आराजी मौजा साकोदरा में खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 1082, 1083, 1084 रकबा 0.3398 है0 किस्म सुखी प्रथम प्रवेश करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1072/1 कृषि भूमि में पिछले 60 वर्षों से वादी के पूर्वज आना जाना करते आ रहे है। जिस पर वादी ने उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस से दर्शित करने प्रतिवादी संख्या 1 से बात की तो रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से इंकार कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। जिससे वाद जरीये प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी में रास्ता दर्ज करने वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जो मयाद अवधि में पेश है।

वद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामिल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार द्वारा वकालतनाम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार चिखली ने दिनांक 17.06.2022 को जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी (तहसीलदार चिखली) के जवाब के अनुसार मौजा साकोदरा के खाता संख्या 1337 खसरा नम्बर 1072/1 व 1082, 1083, 1084 सटे हुये है एवं बिलानाम रास्ता खसरा नम्बर 1061 से प्रतिवादी का आराजी नम्बर 1071/1 लगता हुआ है तथा वादी की भूमि आवाजाही हेतु प्रतिवादी के उक्त खेत से होकर गुजरना पडता है। प्रतिवादी ने रास्ते की भूमि अपने खातेदारी में से नही देने की इच्छा जतायी। उक्त आराजी से 60 बाय 4 मीटर अर्थात 240 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु खातेदार से ली जा सकती है। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता द्वार लम्बे समय से जवाब नही देने पर जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार चिखली से रास्ते का प्रस्ताव मंगवाया गया। दिनांक 09.09.2022 को तहसीलदार चिखली से रास्ते का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो कि आराजी नम्बर 1082, 1083, 1084 में वादी की आवाजाही हेतु खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 श्री रामशंकर पिता खेमजी पाटीदार ग्राम साकोदरा के खसरा नम्बर 1072/1 कृषि भूमि से खसरा नम्बर 1061 बिलानाम रास्ता से होकर तहसीलदार चिखली चिखली प्रस्ताव में संलग्न ट्रेस अनुसार प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता हैं

वाद पत्र का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार चिखली के जवाब पर वादी के वाद में वर्णित पहलूओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों के आधार पर उक्त रास्ता लम्बे समय से चला आ रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं।

अतः दिनांक 09.09.2022 को निर्णय लिख गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत डीएलसी दी की दुगुना राशि जमा कराने पर तहसीलदार प्रस्ताव अनुसार मौजा साकोदरा के खातेदार श्री रामशंकर पिता खेमजी पाटीदार के खाता संख्या 377 खसरा नम्बर 1072/1

रकबा 0.4450 है0 में लम्बाई 60 मीटर, चौडाई 4 मीटर कुल 240 वर्गमीटर को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय आर.ए.ए. उदयपुर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.09.2022 के विरूद्ध अपील की गई जिस पर माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 28.12.2023 को निर्णय कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.09.2022 को अपास्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि प्रकरण में प्रतिवादी श्री रामशंकर से जवाब प्राप्त कर तथा पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावें।

दिनांक 14.06.2024 को प्रकरण पूनः नम्बर पर ली दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब का अवसर प्रदान किया गया। वकील प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित, जवाब हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में दिया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 को कई अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर दिनांक 01.01.2025 को जवाब बंद किया गया।

प्रतिवादी को जवाब के कई अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर पत्रावली में दिनांक 09.09.2022 को जारी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुखराम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली